

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०पोखरी

E-mail- cpmgsy@pokhara.nrediffmail.com

पत्राक 1522 / 1सी० वन भूमि

दिनांक 14/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

16/08/2023
जिंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्राक 860/12-1 गोपेश्वर दिनांक 11/08/2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अगवत कराना है कि भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र 8बी०/यू०सी०पी०/०६/117/2015/एम०सी०/505 दिनांक 14.07.2023 के द्वारा चाही गई बिन्दुओं पर मार्ग से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार है।

1. उक्त मोटर मार्ग में वृक्षों का छपान/पातन मोटर मार्ग का कटान कार्य तत्कालीन सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि० वृत्त, गोपेश्वर द्वारा स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही किया गया है जिस का मैप, Detail Transit walk report तथा भू-वैज्ञानिक द्वारा दी गयी विस्तृत भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संलग्न है जिसमें उक्त मोटर मार्ग का स्थल वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है, जिसके अनुसार मार्ग की स्थिति स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही है। कई वर्षों से मार्ग स्वीकृति हेतु लम्बित होने के कारण मार्ग के विभिन्न लम्बाई हेतु वनभूमि प्रस्ताव भी स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे जिसमें 14.86 कि०मी० लम्बाई हेतु जो के०एम०एल० फाईल बनाई गई थी, उसे तकनीकी दक्षता तथा समयभाव के कारण तत्कालीन अधिकारियों द्वारा अपलोड कर दिया गया था। वर्तमान में वास्तविक संरेखण के अनुसार संशोधित के०एम०एल० फाईल तैयार किया गया है। अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य वास्तविक संशोधित मैप स्वीकृत संरेखण के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया है एवं संरेखण में पड़ने वाले वृक्षों का छपान/कटान वन विभाग द्वारा स्वयं किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।
2. बिन्दु सख्या 1 के अनुसार मार्ग का निर्माण वास्तविक संशोधित मैप स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही किया गया है।

संलग्न : 1-संशोधित मैप स्वीकृत संरेखण की प्रति।

2-ट्रांजिट वॉक की प्रति।

3-भूवैज्ञानिक की आख्या की प्रति।

4- वास्तविक संरेखण के अनुसार के०एम०एल० फाईल की सी०डी०।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि०,पोखरी(चमोली)